

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (i)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 391] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 1981/अग्रहायण 12, 1903
No. 391] NEW DELHI, THURSDAY, DEC. 3, 1981/AGRAHAYANA 12, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1981

सं. 196/81-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 627(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 46/71-केंद्रीय उत्पादशुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 1971 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, (क) द्वितीय परन्तुक में, खंड (स) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) भागतः खंड (क) में निर्दिष्ट क्राफ्ट कागज से और भागतः बिटुमिनीकृत कागज, देस्तारित गत्ते, मोमी कागज, पोली

विलेपित कागज, पोली अंतर्द्विषित कागज, हंसियन रेखांकित गत्ते या ग्रे बोर्ड से किया गया है,"

(ख) ब्रिटीश परन्तुक से पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अस्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण :—इस अधिमूचना के प्रयोजन के लिए नगलीदार गत्ते के विनिर्माण के लिए बाजार से कय किए गए आधारी कागज या कागजी गत्तों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन पर शुल्क संदत्त किया जा चुका है जब तक कि उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य न हो।"

[फा. सं. 61/11/81-सी. एक्स.-2]

डी मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 1981

No. 196/81-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 627(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 46/71-Central Excises, dated the 24th April, 1971, namely :—

In the said notification (a) in the second proviso, for clause (b) the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) partly out of kraft paper referred to in clause (a), and partly out of bitumanised paper, duplex board, waxed paper, poly-coated paper, poly-sandwiched paper, hessian lined paper, straw board or grey board,";

(b) after the second proviso, the following Explanation may be inserted, namely :—

"Explanation.—For the purpose of this notification, the base paper or paper board purchased from the market for the manufacture of corrugated board shall, normally, be treated as duty paid unless there is an evidence to the contrary."

[F. No. 61/11/81-CX. 2]

D. MEHTA, Under Secy.